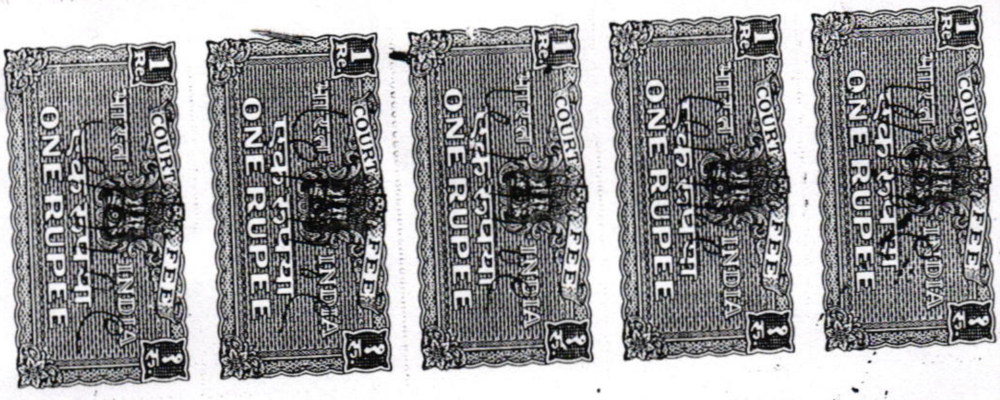

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   /२००६ निगरानी

R - 34 - II/09

श्री एस०के० अवस्थी एडवोकेट
द्वारा आज दि० 7-1-09 को प्रस्तुत।

अधीक्षक
राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर

(१) रामपाल सिंह पुत्र श्री शिवदत्त
(२) बाबूसिंह पुत्र श्री दिगविजय सिंह
दोनों निवासीगण कस्बा रौन
तहसील रौन, जिला भिण्ड, म०प्र०
-- प्रार्थीगण

विरुद्ध

(१) अरविन्द सिंह पुत्र श्री अयोध्यासिंह
निवासी कस्बा रौन, तहसील रौन
जिला भिंड, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना दिनांक १६-०६-०८ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९। प्रकरण क्रमांक २२५/०६-०७ अपील।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है।

(२) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(३) यहकि प्रारम्भिक न्यायालय में प्रकरण में विधिवत जाँच नहीं हुई।

(४) यहकि प्रकरण में न तो विधिवत सीमांकन प्रार्थीगण की उपस्थिति में किया गया और ना ही प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर ही दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक न्यायालय की आज्ञा अवैध, अनियमित एवम् विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

---- २

R 34-प्र/09

20.9.16.

आवेदक की ओर से अधि. श्री
... उप. अना. की
ओर से अधि. श्री कुंवर सिंह
उपस्थित
विगत पेशी पर आवेदक
को 22(4) अंतर्गत धारा
का पत्र प्रस्तुत करने का
आदेश दिया गया था परन्तु उक्त
आदेश का पालन आवेदक
द्वारा आज दिनांक तक
पालन नहीं किया। पालन न करने
एवं प्रकरण आदेश के
के कारण प्रकरण खारिज किया
जाता है।
आदेशित खारिज किया जाता है।
अभिलेखागार में खारिज जमा हो।

[signature]
उपायुक्त

20/9/16

[कृ. प. उ.